तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 49/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

29.10.2021

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी भगाराम पुत्र कूपाराम घांची, जाति– घांची, निवासी– गोल रोड, II गली, जावाल, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सी, गोल रेाड, II गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही ने इस न्यायालय में दिनांक 20.10.2021 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 20.12.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस चाय (नारायणपुर) का नमूना जांच हेतु लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है, वह मेरी फर्म लक्ष्मी एजेन्सी, जावाल से लिया गया था। मैनें यह चाय बिक्री हेतु पैकिंग बैग में प्राप्त की थी। मैनें मेरी दुकान सच्चियाय माता मन्दिर के पास से गोल रोड, जावाल पर शिफट की थी जिसके कारण मेरे बिल वगैरा मिस हो चुके है एवं श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत नही कर पाया। चाय में किसी भी प्रकार की मिलावट नही पाई गई है। लोट नम्बर नियमानुसार अंकित नही होने से मिसब्राण्ड माना गया है। इस संबंध में मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की गलती नही होगी। यह मेरी प्रथम गलती है, कृपया मुझे इस मुकदमें से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी भगाराम द्वारा उक्तानुसार लिखित जवाब प्रस्तुत कर गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 20.10.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चाय (नारायणपुर) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, इसलिये प्रतिवादी भगाराम पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी भगाराम ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.12.2020 को समय 5.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सी, गोल रोड, II गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से [illegible] घांची, जाति– घांची, निवासी– जावाल, तहसील [illegible] सिरोही उपस्थित मिले, जो आम [illegible] (नारायणपुर) बेचता है। आवेदक खाद्य [illegible] के दौरान आम

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:56:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 49/2021	नम्बर व तारिख अह[illegible]न जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चाय (नारायणपुर) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता भगाराम को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ चाय (नारायणपुर) के 15x33 किलोग्राम पैक्ड बैग में से चाय (नारायणपुर) के एक बैग को खोलकर चाय को अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए खाद्य पदार्थ चाय (नारायणपुर) में से 2 किलोग्राम चाय (नारायणपुर) को जांच हेतु एक साफ, सूखे खाली भिगोनें में खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 620/– (रुपये छः सौ बीस मात्र) विक्रेता भगाराम को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता भगाराम व मौके पर उपस्थित गवाह को चार साफ सूखे, खाली जार दिखाकर खरीद शुदा चाय (नारायणपुर) को चारों जारों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं इन चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया तथा मौके पर लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1334, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ चाय (नारायणपुर) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों प्लास्टिक जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। एक नमूना जार के साथ नमूने का मूल बैग व मूल लेबल लगाया एवं चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना जार को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड् करते समय काम में ली गई सील का [illegible] के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक [illegible] लगा[illegible] चारों नमूना भागों को आउटर कवर में [illegible] किया [illegible] किया तथा फार्म नम्बर VI [illegible] प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से [illegible]काकर लिफाफों को सील

........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:56:01 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज०)

प्रा.त. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 49/2021	तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

चपड़ी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.12.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सी, गोल रोड, जावाल में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता भगाराम से खाद्य पदार्थ चाय (नारायणपुर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ चाय (नारायणपुर) के नमूना संख्या S-1334 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1093/Act/2020/68 दिनांक 07.1.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ (नारायणपुर) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी भगाराम ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण के अनुसंधान के दौरान खाद्य पदार्थ चाय (नारायणपुर) के खरीद बिल की प्रति प्रस्तुत नही की है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी भगाराम ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (नारायणपुर) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी भगाराम पुत्र कूपाराम घांची, जाति– घांची, निवासी– गोल रोड, II गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सी, गोल रोड, II गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी भगाराम को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल [illegible] राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 18.11.2021 को पेश हो।

[illegible]
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:56:01 IST
Reason: SelfAttested